अनुस्मारक

शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक, (उ0शि0)
डिग्री विकास अनुभाग,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

सेवा में,

1. कुलसचिव,
   समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।
3. समस्त प्राचार्य/प्राचार्या,
   राजकीय/अशाकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय, उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः डिग्री विकास/ 15034 /2018-19 दिनांकः 25 जूलाई, 2018

विषयः उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों, राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में सेमिनार/वर्कशाप/कान्फ्रेंस आयोजित किये जाने हेतु दिशा-निर्देश दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-387/सत्तर-6-2018-135/2009 टी0सी0 दिनांक 19 जून 2018 तथा निदेशालय के पत्रांक संख्या-डिग्री विकास 13982-14910/2018-19 दिनांक 06 जुलाई, 2018 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों, राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में सेमिनार/सिम्पोजियम/वर्कशॉप आयोजित किये जाने हेतु दिनांक 15 अगस्त 2018 तक समस्त प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देश प्रदान किया गया था।

तद्क्रम में अपने क्षेत्रान्तर्गत आने वाले राज्य विश्वविद्यालयों, राजकीय महाविद्यालयों, अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों को अपने स्तर से भी पत्र व्यवहार करते हुए समसामयिक/नवोन्वेषी विषयों पर सेमिनार/सिम्पोजियम/वर्कशॉप के प्रस्तावों को निर्धारित तिथि 15 अगस्त, 2018 तक प्रेषित कराना सुनिश्चित करें। शासन के मानकानुसार निर्धारित प्रारुप पर अपेक्षित प्रस्ताव निदेशालय को संतोषजनक रूप से अभी तक अप्राप्त है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष से सेमिनार/सिम्पोजियम/वर्कशॉप हेतु चयनित संस्थाओं को स्वीकृत धनराशि का भुगतान NEFT/R.T.G.S. द्वारा किया जाना है, अतः संस्था का खाता संख्या, IFSC कोड, बैंक का नाम, शाखा, जनपद का उल्लेख प्रस्तावों में अनिवार्य रूप से करना सुनिश्चित करें।

Recived
30.7.18

जिन संस्थाओं ने पिछले वित्तीय वर्ष में सेमिनार/सिम्पोजियम/वर्कशॉप हेतु अनुदान प्राप्त किया था, किन्तु उनका उपभोग-प्रमाण पत्र समस्त वांछित अभिलेखों सहित निदेशालय को अप्राप्त है वे अविलम्ब उपभोग-प्रमाण पत्र प्रेषित करें अन्यथा सम्बन्धित अधिकारी/संस्था

के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही आरंभ कर दी जायेगी। ऐसी संस्थाओं का चिन्हित करते हुए वर्तमान सत्र में उनके द्वारा प्रेषित प्रस्तावों पर विचार/स्वीकार किया जाना तथा संस्तुति सहित शासन को प्रेषित किया जाना संभव नहीं होगा।

अतः उपरोक्त सभी सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि पिछले वित्तीय वर्ष का उपभोग-प्रमाणपत्र अविलम्ब प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा वर्तमान सत्र हेतु सेमिनार/सिम्पोजियम/वर्कशॉप के प्रस्तावों को 15 अगस्त, 2018 तक अवश्य प्रेषित कर दें। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त प्रस्तावों पर विचार किया जाना संभव नहीं होगा।

उपभोग-प्रमाण पत्र अथवा नवीन प्रस्तावों के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की जिज्ञासा अथवा कठिनाई निवारण हेतु सेमिनार/सिम्पोजियम/वर्कशॉप के को-आर्डिनेटर डॉ0 इन्दु प्रकाश सिंह के दूरभाष नम्बर-9415262299 पर संपर्क किया जा सकता हैं।

प्रकरण अतिमहत्वपूर्ण तथा समयबद्ध है, अतः व्यक्तिगत ध्यान तथा शीर्ष प्राथमिकता अपेक्षित है।

भवदीया,

डॉ0 (प्रीति गौतम)
शिक्षा निदेशक (उ0शि0)
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

पृष्ठांकन संख्याः डिग्री विकास/ /उसी तिथि को।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।।
3. विशेष सचिव, उच्च शिक्षा, अनुभाग-06 उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
4. विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-01 उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
5. विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-05 उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
6. अपर सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद, 619 इन्दिरा भवन, लखनऊ।
7. डॉ0 इन्दु प्रकाश सिंह सहायक प्रोफेसर एवं को-आर्डिनेटर सेमिनार/सिम्पोजियम/वर्कशॉप उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि समस्त कुलसचिव, राज्य विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश, समस्त क्षेत्रिय उच्च शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश, तथा समस्त प्राचार्य/प्राचार्या, राजकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय उत्तर प्रदेश, के साथ समन्वय स्थापित करते हुये निर्धारित तिथि 15 अगस्त, 2018 तक प्राप्त प्रस्तावों को संकलित करते हुए अपर सचिव, उत्तर प्रदेश, राज्य उच्च शिक्षा को प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत करायें।

डॉ0 (प्रीति गौतम)
शिक्षा निदेशक (उ0शि0)
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

संख्या–कु0स0/5161/2Aसाप्र–I(शासन विविध)15/2018 दिनांक : 30जुलाई, 2018

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मा0 कुलपति जी, सूचनार्थ मात्र।
2. वित्त अधिकारी।
3. समस्त–संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष को इस आशय से कि शासन को प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु उक्त पत्र में दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुरूप औचित्यपूर्ण प्रस्ताव उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
4. समन्वयक–यू0जी0सी0 यूनिट।
5. अधीक्षक–सम्बद्धता विभाग को इस आशय से कि राजकीय महाविद्यालयों, अशासकीय. सहायता प्राप्त महाविद्यालयों को अपने स्तर से अवगत करा दें।
6. सम्बन्धित पत्रावली।

कुलसचिव